

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0229 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/09/2025 17:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	409
4	भा दं सं 1860	477-A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 12/08/2002 Date To (दिनांक तक): 30/03/2016
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 16:00 बजे Time To (समय तक): 14:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/09/2025 Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 04/09/2025 17:14:06 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 300 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): SHAARIRIK SHIKSHA VIBHAG, JAYNARAYAN VAYAS VISHVVIDYALAY, JODHPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DAULAL BHATI

(b) Father's Name (पिता का नाम): JAWAHARLAL BHATI

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1949

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	FATEHSAGAR KA OTA, KUSHTI BHAVAN, NAGUARI GATE, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	FATEHSAGAR KA OTA, KUSHTI BHAVAN, NAGUARI GATE, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR. AMAN SISODIYA		पिता: OMSINGH SISODIYA	1. E 329-330, RAMESHWAR NAGAR, BASANI NAGAR PRATHAM, JODHPUR CITY EAST, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	मिक्के और मुद्रा	रुपये		92,511.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 92,511.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवादी श्री दाउलाल भाटी पुत्र श्री जवाहरलाल भाटी उम्र 76 वर्ष पेशा सेवानिवृत्त सिनियर टिकट निरीक्षक भारतीय रेलवे जोधपुर निवासी फतेहसागर का ओटा कुश्ती भवन पुलिस थाना नागौरी गेट जोधपुर मोबाईल नम्बर ने एक परिवार श्री अमनसिंह सिसोदिया, पूर्व विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एवं अन्य के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि डा अमनसिंह सिसोदिया द्वारा अपने पद पर रहते हुए विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितताएं कर पद का दुरुपयोग किया है। वर्ष 2002 में खरीदी गयी पुस्तकों के असल बिलों एवं स्टॉक रजिस्टर में पुस्तकों के इन्द्राज का मिलान नहीं हो रहा है। अधिकतम पुस्तकें जो बिलों के जरिये खरीदी गयी। उनको इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नहीं है एवं कई पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया गया जिसके बिल रिकार्ड पर नहीं है। कुछ सस्ती पुस्तकें हैं जिसका शारीरिक शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम से कोई सरोकार नहीं है। राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर से पुस्तकें खरीद करके बिल सबलाईन पब्लिकेशन जयपुर के है। इसी प्रकार वर्ष 2014 में खरीद की गयी पुस्तकें राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर से खरीदी गयी, इन सभी पुस्तकों का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नहीं है। इसी प्रकार वर्ष 2015 में मिनर्वा पब्लिकेशन जोधपुर से खरीद की गयी पुस्तकें जो मेडिकल विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से सम्बंधित है। उक्त पुस्तकें डा. अमनसिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री सुश्री मौक्षा कंवर सिसोदिया की एम.बी.बी.एस. की शिक्षा के लिए खरीदी गयी और उसे पुस्तकालय में जमा करा दी गयी। विश्वविद्यालय ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांक 10960 दिनांक 08.06.2017 द्वारा डा. अमनसिंह सिसोदिया द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु 3 सदस्यों की कमेटी गठित की गयी। जिन्होंने भी जांच से श्री अमनसिंह सिसोदिया द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अनियमितता करना माना है। इस तरह डॉ अमनसिंह सिसोदिया द्वारा वित्तीय अनियमितताएं कर विभाग में पुस्तक खरीद हेतु भारी भ्रष्टाचार एवं गबन करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से परिवार संख्या 331/2019 विरुद्ध श्री अमनसिंह सिसोदिया पूर्व विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एवं अन्य के पंजिबद्ध होकर कार्यालय ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से ब्यूरो चोकी जोधपुर एसयू को वास्ते सत्यापन प्राप्त हुई। परिवार मत्पापन, लेखबद्ध बयान, प्राप्त रिकॉर्ड, पुस्तकों के क्रय बिलों की प्रमाणित प्रतियां, पुस्तक क्रय के लिए संधारित एसेसन रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां एवं विभागीय कमेटी द्वारा की गई जांच से पाया गया कि श्री अमनसिंह सिसोदिया, तत्कालीन विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में वर्ष 2002 से 2005 एवं 2014 से 2016 तक पदस्थापित रहने के दौरान स्टॉक रजिस्टर, रोकड़ बही, खाता बही, स्थायी भण्डार पंजिका, अस्थायी भण्डार पंजिका, चैक रजिस्टर, बिल्ड रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों का संधारण नहीं कर मात्र एसेसन रजिस्टर एवं बिल बाउचरों का संधारण किया गया, एसेसन रजिस्टर दिनांक 13.01.1988 प्रारम्भ किया गया है। जिसमें क्रम संख्या 01 से 1582 तक इन्द्राज है। रजिस्टर को संधारण एक ही समय में किया गया है। रजिस्टर पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, रजिस्टर अपूर्ण एवं कांट-छांट करना पाई गई। कॉलम रिक्त होकर वाईटनर को प्रयोग किया गया है एवं रजिस्टर में अधिकांश कॉलम दिनांक व लागत राशि के रिक्त पाये गये हैं। जिसके अनुसार बिल नम्बर 328 दिनांक 09.11.2015 टेस्ट बुक ऑफ बायो केमेस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट, इसी प्रकार एसेसन रजिस्टर क्रमांक 1500 पर अंकित टेस्ट बुक ऑफ मेडिकल बायो फिजियोलोजी अंकित होना पाई गई, कन्टीजेन्सी बिल संख्या 11 दिनांक 30.06.2016 फर्म बिल नम्बर एमपी/328 दिनांक 09.11.2015 विक्रेता फर्म मिनर्वा पब्लिकेशन जोधपुर से पुस्तकें राशि 6613 की क्रय की गई हैं जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित नहीं होकर मेडिकल कोर्स से संबंधित होना पाई गई। कन्टीजेन्सी बिल संख्या 14 दिनांक 29.06.2015 फर्म बिल नम्बर 2/2015-16/001 दिनांक 22.06.2015 विक्रेता फर्म का नाम इन्डूज इन्टरनेशनल नई दिल्ली पुस्तकें रुपये 49895/- जो विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत विक्रेता से क्रय करना नहीं पाई गई है। इसी प्रकार बाउचर नम्बर 313 दिनांक 24.03.2003 परिवार के सत्यापन के दौरान परिवादी श्री दाउलाल भाटी के बयान दिनांक 27.11.2019 को लिये गये। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पत्रांक 919 दिनांक 07.12.2019 द्वारा वर्ष 2002, 2014 व 2015 के क्रय की गई पुस्तकों के बिलों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। डॉ अमनसिंह सिसोदिया द्वारा परिवार में अंकित आरोपों के संबंध में अपना अभ्यावेदन ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पर प्रस्तुत किया जो मुख्यालय के पत्रांक 1000-01 दिनांक 03.02.2020 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। श्री सत्यप्रकाश दूबे अधिष्ठाता कला संकाय अतिरिक्त चार्ज विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग

जेएनबीयू जोधपुर, श्री अवीसिंह भाटी संविदाकर्मी पूर्व कार्यरत शारीरिक शिक्षा विभाग जेएनबीयू जोधपुर, श्री मोहम्मद असलम संविदाकर्मी पूर्व कार्यरत शारीरिक शिक्षा विभाग जेएनबीयू जोधपुर एवं श्री बाबुलाल दायमा विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बयान लेखबद्ध किया जाकर शालिम पत्रावली किये गये। परिवाद के सत्यापन से पाया गया कि इन्हीं बिन्दुओं पर पूर्व में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा भी जांच अपने विभागीय स्तर पर करवाई गई। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापन शाखा के पत्र क्रमांक 2292 दिनांक 08.03.2021 द्वारा व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त की गई। उपरोक्त गवाहाओं के बयान एवं उपलब्ध रिकॉर्ड से पाया गया कि डॉ. अमनसिंह सिसोदिया पूर्व विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एवं अन्य के संबंध में पूर्व में गठित कमेटी जो जे.एन.बी.यू./ एम.बी.एम./टी.पी.ओ./2018/112 दिनांक 03.07.2018 बॉर्डर चांसलर के आदेश क्रमांक जे.एन.बी.यू./ संस्था. /टी./10960 दिनांक 08.06.2017 को गठित हुई थी। इस कमेटी ने प्रोफेसर अवधेश शर्मा अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश डागा सदस्य व श्री दशरथ सोलंकी सदस्य नियुक्त किया गया। उक्त तीनों द्वारा अलग-अलग रिपोर्टें प्रस्तुत की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:- प्रोफेसर कैलाश डागा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट:- श्री कैलाश डागा ने अपनी रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं अंकित किये हैं स्टॉक रजिस्टर व अन्य दस्तावेज डॉ. अमनसिंह सिसोदिया द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने के कारण जो सामान विभाग में है वह कब, कहां से कितनी मात्रा में आया तथा वर्तमान में कितना शेष होना चाहिए यह ज्ञात करना संभव नहीं हुआ जो मामला अत्यंत गंभीर है। रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तकालय में एसेशन रजिस्टर सत्य नहीं है। उपलब्ध रजिस्टर एवं पुस्तकों के अनुसार 300 से अधिक कम पुस्तकें दी गई हैं। कई पुस्तकों का इन्द्राज भी इन रजिस्ट्रों में नहीं किया गया। कई पुस्तकें शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित नहीं हैं, जैसे बिल नम्बर 328 दिनांक 09.11.2015 टेस्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टुडेंट्स क्रमांक 1500 टेस्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलोजी बाई जोन ई हाल इत्यादी, कटीजेंसी बिल संख्या 14 दिनांक 29.06.2015 फर्म बिल नम्बर 2/2015-16/001 दिनांक 22.06.2015 विक्रेता फर्म का नाम इंदूज इण्टर नेशनल नई दिल्ली पुस्तकें रुपये 49895/- जो विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत विक्रेता से क्रय क्रय नहीं की गयी है। कटीजेंसी बिल संख्या 11 दिनांक 30.06.2016 फर्म बिल नम्बर एम.पी./328 दिनांक 09.11.2015 विक्रेता फर्म का नाम मिनर्वा पब्लिकेशनस जोधपुर पुस्तकें रुपये 6613/- की क्रय की गयी है जो शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित नहीं है। यह मेडिकल कोर्स से सम्बन्धित है। श्री दशरथ कुमार सोलंकी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट:- श्री दशरथ कुमार सोलंकी, नियन्त्रक वित्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्न बिन्दु अंकित किये हैं कि एसेसन रजिस्टर दिनांक 13.01.2018 से प्रारम्भ किया गया है, जिसमें कम संख्या 1 से 1582 तक इन्द्राज है रजिस्टर का संधारण एक ही समय में किया गया है, रजिस्टर पर समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। रजिस्टर अपूर्ण व कांटछाट पायी गयी, कॉलम रिक्त होकर बाईटनर का प्रयोग किया। रजिस्टर में अधिकांश कॉलम दिनांक व लागत राशि के रिक्त पाये गये। जांच में रोकड़बही, खाता बही, स्थाई भण्डार पंजिका, अस्थायी भण्डार पंजिका, चैक रजिस्टर, बिल रजिस्टर का संधारण नहीं करना पाया गया। वाउचर नम्बर 313 दिनांक 24.03.2003 मैसर्स राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर बिल नम्बर 226 दिनांक 26.07.2002 पर पृष्ठ संख्या 26 से 28 व क्रमांक 645-690 का प्रमाण पत्र अंकित किया गया। मेथोडोलोजी ऑफ रिचर्स इन फिजिकल एज्यूकेशन एण्ड रिपोर्ट्स की 2 बुक कुल 500 रुपये क्रमांक 688 से 689 पर अंकित है। एसेसन रजिस्टर के क्रम संख्या 688 पर इसी बुक का इन्द्राज है जबकि क्रम संख्या 689 पर आरोग्य की कुजी लागत 25 रुपये अंकित है (इस तरह एक पुस्तक 250 रुपये व दूसरी पुस्तक 25 रुपये कुल 276 रुपये की बजाय 500 रुपये की पुस्तक का इन्द्राज कर 225 रुपये की राशि की पुस्तकें कम पायी गयीं)। शारीरिक शिक्षा एवं ऐतिहासिक बाह मथ की 5 पुस्तकें राशि 500 रुपये बिल में हैं। एसेसन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 694 पर कर्म रहस्य लागत 100 रुपये व 695 पर भी कर्म रहस्य लागत 100 रुपये का इन्द्राज है। इस तरह 500 रुपये पुस्तकें बजाय 200 रुपये की पुस्तकें उपलब्ध होकर 300 रुपये की राशि की पुस्तकें कम पायी गयीं। वाउचर नम्बर 312 दिनांक 24.03.2003 में मैसर्स सब लाईम पब्लिकेशन जयपुर बिल नम्बर 253 दिनांक 04.10.2002 में कुल पुस्तकें 3435 की कय की गयी है जबकि एसेसन रजिस्टर के कम संख्या 837 पर रोग दर्शन पुस्तक 100 रुपये का इन्द्राज होकर कुल 3335 रुपये की राशि की पुस्तकें कम पायी गयीं। वाउचर नम्बर 12 दिनांक 16.10.2003 में मैसर्स राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर बिल नम्बर 270 दिनांक 18. 07.2003 में एक पुस्तक 144 रुपये की कय की गयी है जबकि एसेसन रजिस्टर के कम संख्या 851 पर योग दर्शन 100 रुपये का इन्द्राज होकर कुल 44 रुपये की राशि की पुस्तकें कम पायी गयीं। वाउचर नम्बर 12 दिनांक 16.10.2003 में मैसर्स राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर बिल नम्बर 270 दिनांक 18. 07.2003 में एक पुस्तक 7564 रुपये की कय की गयी है जबकि एसेसन रजिस्टर के कम संख्या 853 पर जोगिंग ऑफ स्पोर्ट्स एन्जरिज 750 रुपये का इन्द्राज होकर कुल 6814 रुपये की राशि की पुस्तकें कम पायी गयीं। वाउचर नम्बर 12 दिनांक 16.10.2003 में मैसर्स राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर बिल नम्बर 270 दिनांक 18. 07.2003 में एक पुस्तक 1581 रुपये की कय की गयी है जबकि एसेसन रजिस्टर के कम संख्या 856 पर योग दर्शन 100 रुपये का इन्द्राज होकर कुल 1481 रुपये की राशि की पुस्तकें कम पायी गयीं। वाउचर नम्बर 12 दिनांक 16.10.2003 में मैसर्स राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर बिल नम्बर 270 दिनांक 18. 07.2003 में एक पुस्तक 4392 रुपये की कय की गयी है जबकि एसेसन रजिस्टर के कम संख्या 857 पर प्रेरणा के प्रसंग

50 रुपये का इन्द्राज होकर कुल 4342 रुपये की राशि की पुस्तके कम पायी गयी। वाउचर नम्बर 14/06 दिनांक 03.04.2014 में मेसर्स राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर बिल नम्बर 324 दिनांक 01.03.2014 में तीन पुस्तक 7200 रुपये का इन्द्राज रजिस्टर में नहीं किया गया है इस तरह 7200 रुपये की राशि की पुस्तके कम पायी गयी। वाउचर नम्बर 74 दिनांक 24.03.2014 में मेसर्स ऐज्यूकेशन गैलेरी जोधपुर बिल नम्बर 161 दिनांक 24.03. 2014 में कुल राशि 3247 रुपये का इन्द्राज रजिस्टर में नहीं किया गया है इस तरह 3247 रुपये की राशि की पुस्तके कम पायी गयी। वाउचर नम्बर 656 दिनांक 08.03.2014 में मेसर्स एण्ड्रूस इण्टरनेशनल नई दिल्ली बिल नम्बर 19 दिनांक 27.01.2014 में कुल राशि 7965 रुपये की है विपत्र में आईटम लॉकेट एनेलाईसर है जबकि जाच में आईटम लॉकेट स्काउंट बताया है। किताबों का भौतिक सत्यापन करने पर कर्म रहस्य 100 रुपये की पुस्तक पर राशि 5 रुपये अंकित है। और योग दर्शन 100 रुपये की पुस्तक पर राशि 11 रूपयें अंकित है। इसी तरह एस.एस रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 728 से 732 पर प्रश्नोत्तर मणीमाला व कम संख्या 364, 365, 371, 373, 376, 377, 381 पर एक लोटा पानी अंकित है जो पुस्तके शारीरिक शिक्षा कोर्स से सम्बन्धित नहीं है। इसी तरह लेखों के संधारण नहीं करना व बिल में अंकित किताब तथा रजिस्टर में अंकित किताबों में भिन्नता पायी जाकर किताब में अंकित लागत, रजिस्टर में अंकित लागत व किताब पर अंकित वास्तविक मूल्य में अन्तर पाया गया। इसी के साथ रजिस्टर भी सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं होना एवं कांटछाट तथा ऑवरराइटिंग व अपूर्ण होना पाया गया। परिवार के सत्यापन से पाया गया कि डॉ अमनसिंह सिसोदिया पूर्व विभागाध्यक्ष जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा शारीरिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित रहकर 49895/-रुपये की पुस्तके अधिकृत विक्रेता से खरीद नहीं की गई, तथा 6613/-रुपये की पुस्तके शारीरिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित होना नहीं पायी गई एवं 36003/-रुपये की पुस्तके सत्यापन से कम पायी गई है। इस तरह डॉ. सिसोदिया द्वारा कुल 92511/- रुपये की पुस्तके क्रय नहीं कर अथवा अनावश्यक रूप से खरीद कर विश्वविद्यालय राजकोष को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाना पाया गया है इसके अलावा उपरोक्तानुसार डॉ अमनसिंह सिसोदिया द्वारा विभिन्न अनियमितताएं कर अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। आरोपी डॉ अमनसिंह सिसोदिया पूर्व विभागाध्यक्ष जय नारायण विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग जोधपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 13 (1) सी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवम् 409, 477ए भा.द.स. के तहत दण्डनीय हैं। अतः आरोपी डॉ. अमनसिंह सिसोदिया पुत्र श्री ओमसिंह सिसोदिया पेशा नोकरी निवासी ई-329-330 रामेश्वर नगर बामनी प्रथम जोधपुर पूर्व विभागाध्यक्ष जय नारायण व्यास विश्व विश्व विद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग जोधपुर के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) सी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवम् 409, 477ए भा. द.स. के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं। भवदीय, (ओमप्रकाश चौधरी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) सी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवम् 409, 477ए भा.द.स. में आरोपी डॉ. अमनसिंह सिसोदिया पुत्र श्री ओमसिंह सिसोदिया पेशा नोकरी निवासी ई- 329-330 रामेश्वर नगर बासनी प्रथम जोधपुर पूर्व विभागाध्यक्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग जोधपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री चक्रवर्ती सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 70 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1303-07 दिनांक 04.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. सिंडिकेट, जय नारायण व्यास, विश्वविद्यालय, जोधपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर । 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परिवार संख्या 331/2019) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): chakrvarti singh Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): rathore (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पत्र कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad
Sharma
Location: Rajasthan, India
Date: 06/09/2025 11:05:33

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	13/02/1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ध्रुवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)